राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :– 329 / 2021

–: आदेश :–

दिनांक :– 25/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	नौरंगपुरा	2076-79	22, 23, 24, 25	चुकी देवी पत्नी घन्शीराम	चुकली देवी पत्नी घन्सीराम

नोट :– शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुंझुनूं (खेतड़ी)

क्रमांक :– राजस्व / 2021 / 198

दिनांक :– 25/10/2021

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को अग्रिम कार्यार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया चुकली देवी पत्नी घसी[illegible] निवासी नौरंगपुरा को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner